

## वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

## धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

2. पता

3. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5. चालान की समस्त राशि

6. चालान की निश्चित राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

श्री ग्रीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया  
जनपद न्यायालय औरैया।

जनपद न्यायालय औरैया।

राजकीय वाहन इनोवा वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0257 से माह जून 2024 में निजी कार्य से चली शेष 1,751 किमी. जिसमें 200 किमी० का लाभ लेते हुए शेष 1,551 किमी० का भुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर से कुल धनराशि 4,653/- जमा करने हेतु

0070-60-800-00

0070-60-800-00

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक लघु शीर्षक उप शीर्षक व्योरेवार शीर्षक धनराशि अंको में

0 0 7 0

6 0

8 0 0

0 0

0 0

Rs. 4,653/-

-

Rs. 4,653/-

धनराशि शब्दों में-रुपये चार हजार छः सौ तिरपन मात्र

योग-

Rs. 4,653/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित.

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

अंको में

दिनांक

4306893

शब्दों में रु०

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

मा०स्टे० बैंक औरैया 0612  
नकद जमा किया गया धनराशि

03 प्राप्त किया  
उपकोषागार/बैंक की मुहर

DHYAN SINGH  
PF-6014517 Sign